32

R-1792-I/16

श्री रजनी भैया शर्मा
द्वारा आज दि. 6/6/16 को प्रस्तुत

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

शैलेन्द्र सिंह डायरेक्टर एस.एस.क्यू.इनफ्राटेक प्रा.लि.
निवासी छतरपुर जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र 22/बी–121/15–16 पारित आदेश दिनांक 03/05/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बगौता स्थित भूमि खसरा क्र 575/1 रकवा 0.332 में से 0.104, खसरा क्र 592/1 रकवा 0.769 में 0.492, खसरा क्र 592/2 रकवा 0.466 में से 0.294, 591 रकवा 0.955 में से 0.621 एंव 590 रकवा 0.700 में से 0.438 कुल किता 5 कुल रकवा 1.949 हे भूमि के विकास हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 3/5/16 को अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर को इस बात को मानना चाहिए था कि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2/3/16 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का

(नितेन्द्र सिंघई
एड. भागई
94251-71223)

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R1792-T/16 जिला GWL

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-6-16	1– आवेदक के अधिवक्ता नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र. 22/बी–121/वर्ष 15–16 में पारित आदेश दिनांक 03/5/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि मौजा बगौता स्थित खसरा नंबर 575/1, 592/1, 592/2, 591, 590 कुल रकवा 1.949 हे भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है जो वर्तमान में आवेदक के नाम पर भूमिस्वामी हक मे दर्ज है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि के विकास हेतु अनुमति प्रदाय किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 11/4/16 को अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा दिनांक 13/4/16 को प्रस्तुत किए जाने उपरांत अपर कलेक्टर द्वारा समस्त जांच हो जाने के पश्चात् भी दिनांक 3/5/16 को पुनः जांच किए जाने का आदेश पारित किया जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक की समस्त बिन्दुओं की जांच एक बार पूर्ण होने के उपरांत भी अपर कलेक्टर द्वारा पुनः अनुविभागीय अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए है जिससे स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर प्रकरण में कोई आदेश पारित ना कर अनावश्यक रूप से प्रकरण को विचाराधीन रखकर आवेदक को क्षति पहुंचा रहे है। उक्त आधार पर आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विकास की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए यह निगरानी ग्राहय किए जाने का अनुरोध किया है। 4– आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस	

R-1792-I/16 68154

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की भूमिस्वामी हक की भूमि है तथा उसके द्वारा भूमि के विकास हेतु आवेदन पत्र दिया गया था। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा दिनांक 2—3—16 को भूमि का व्यपवर्तन किया गया है तथा ग्राम पंचायत बगौता, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग खण्ड छतरपुर, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनापत्ति एंव अनुमोदन किया गया है एंव नगर पालिका छतरपुर द्वारा अनुबंध पत्र निष्पादित किया जा चुका है। प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 11/4/16 को अनुविभागीय अधिकारी से चाहा गया जांच प्रतिवेदन भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13/4/16 को प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त कलेक्टर छतरपुर को आदेशित किया ज़ाता है कि आवेदक को निर्धारित प्रारूप में विकास की अनुमति प्रदाय करें। तदानुसार यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	